रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1977/श्रावण 31, 1899

No. 364] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1977/SRAVANA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd August 1977

S.O. 626(E).—Whereas, the industrial undertaking known as Messrs Bengal Chemical and Pharmaceuticals Works Limited, Calcutta is engaged in the schedule industry, namely, drugs and pharmaceuticals industry and heavy chemicals industry;

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

1. Dr. S. P Bhattacharya, Industrial Adviser, Directorate General, Technical Development—*Chairman*

2. Shri A K Roy Chowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises—*Member.*

3. Shri K Mitra, Deputy Director (Inspection), Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta—*Member.*

4 Shri A K Karmakar Additional Chief Engineer, P and D Division, Fertilizer Corporation of India Ltd, Sindri—*Member.*

5. Shri Lakshmi Narain, Industrial Engineer, Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.,—*Member.*

2 The above body shall submit its report within a period of four weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazettze.

[No. 4/26/76-CUC]

G N MEHRA, Jt Secy

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1977

का० आ० 626(अ).—मैसर्स बंगाल कैमीकल एण्ड फार्मास्यूटीकल्स वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् औषधि और भैषजिक उद्योग तथा भारी रसायन उद्योग मे लगा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम मे विनिर्मित वस्तुओ के उत्पादन की मात्रा मे पर्याप्त कमी हुई है जो विद्यमान दशाओ को ध्यान मे रखते हुए न्यायोचित नही है ,

अत अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, इस मामले की परिस्थितियो का समस्त और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियो का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होगे —

1 डा० एस० पी० भट्टाचार्य, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास के महानिदेशक—**अध्यक्ष** ।

2. श्री ए० के० राय चौधरी, उप-सलाहकार (वित्त), ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइसेस—**सदस्य** ।

3 श्री के० मित्रा, उप-निदेशक (निरीक्षण), कार्यालय, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी ला

4. श्री ए० के० करमाकर, अपर मुख्य इंजीनियर, पी एण्ड डी डिविजन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी—**सदस्य** ।

5 श्री लक्ष्मी नरायण, औद्योगिक इंजीनियर, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड—**सदस्य** ।

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 4 26 76-सी.सी]

जी० एन० मेहरा, सयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,